षोडश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-10.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री शिवचन्द्र राम, स०वि०स० श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स० श्री विजय कुमार 'विजय', स०वि०स० श्री प्रकाश वीर, स०वि०स० श्री अशोक कुमार, स०वि०स० (क्षेत्र सं०-208)	बिहार के सभी जिलों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है । सरकार के पत्रांक-03(स्वी.), दिनांक-03.06.19 के आलोक में पंचायत के मुख्यालय ग्राम में ही उक्त भवन का निर्माण होना है । पंचायत मुख्यालय में जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण राज्य में मात्र 20 प्रतिशत ही कार्य हुआ है । अत: पंचायत के किसी भी ग्राम में जहां जमीन उपलब्ध है, पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	पंचायती राज

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री जिवेश कुमार, स०वि०स० श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स० श्री राजीव नन्दन, स०वि०स० श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स० श्री रणविजय सिंह, स०वि०स० श्रीमती बेबी कुमारी, स०वि०स० श्री अवधेश सिंह, स०वि०स० श्री उमेश सिंह कुशवाहा, स०वि०स० श्री मनोज कुमार, स०वि०स० श्री सत्यदेव सिंह, स०वि०स० श्री ललन पासवान, स०वि०स०	वर्तमान में बिहार सरकार के लगभग सभी सरकारी योजनाओं यथा वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण योजना, गैस सब्सीडी, छात्र/छात्राओं के लिए साईकिल पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना व अन्य सभी योजनाओं में मिलने वाली लाभ की राशि सीधे लाभुकों के खाते में बैंक द्वारा भेजे जाते हैं । बैंकों की शाखा राज्य के सभी पंचायतों में नहीं रहने के कारण आमजनों को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । आज भी बिहार के लगभग दो तिहाई ग्राम पंचायत बैंक शाखा विहिन है । अत: सरकारी विकास के कार्यों में गति देने तथा बिहार की जनता को सुगमता प्रदान करने हेतु बिहार के सभी पंचायतों में सरकारी बैंक की कम-से-कम एक शाखा खोलने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	वित्त

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/19- 798 / वि०स०, पटना, दिनांक-09 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / पंचायती राज विभाग तथा वित्त विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9/7/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/19- 798 / वि०स०, पटना, दिनांक-09 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

9/7/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।